प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 15-09-2020 थाना गीडा जनपद गोरखपुर

जनपद के अपराध एवं अपराधियो व अवैध शराब पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल मार्ग निर्देशन व क्षेत्राधिकारी कैम्पियरगंज गोरखपुर के पर्यवेक्षण में मुझ थानाध्यक्ष के नेतृत्व में 03 नफर अभियुक्त सम्बन्धित मु0अ0सं0 682/2020 धारा 60(क)/63/72 अबकारी अधिनियम में गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण

आज दिनांक 15.09.20 को मुझ थानाध्यक्ष के मार्ग दर्शन में उ0नि0 रामप्रवेश सिंह मय हमराह के अपराध एवं अपराधियो पर अंकुश लगाने हेतु श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाये जा रहे अभियान व बैंक चेकिंग मे मामूर थे कि जरिए मुखिबर सूचना मिला कि वाहन (महिन्द्रा ब्लोरो पिकप) संख्या HR 38 W 6139 से चालक सहित तीन व्यक्ति जो खलीलाबाद के तरफ से कुशीनगर के तरफ जा रहे संदिग्ध प्रतीत हो रहे है। मुखबिर के सूचना पर विश्वास करके जीरो प्वाइंट पर उ0नि0 रामप्रवेश सिंह द्वार मय हमराही द्वारा वाहन उक्त व चालक सहित 03 व्यकित को को जीरो प्वाइंट पर पकड़ लिया गया। पकड़े गये व्यक्तियो से नाम पात पूछा गया तो एक ने अपना नाम बब्लू सिंह पुत्र हेमराज सिंह निवासी बुडरा थाना मरहरा जनपद एटा हाल पता सुभाष कालोनी बल्लभगढ थाना बल्लभगढ जनपद फरीदाबाद हरियाणा तथा वाहन उपरोक्त का स्वामी व चालक तथा दूसरे व्यक्ति ने अपना नाम मुनमुन सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी डुमरी छुपिया थाना तरैया जनपद छपरा बिहार तथा तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम भुवनेश शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा निवासी आदर्श नगर कालोनी बल्लभगढ थाना बल्लभगढ जनपद फरीदाबाद जनपद हरियाणा बताया। उपरोक्त संदिग्ध वाहन की तलाशी की गयी तो गाड़ी मे लोहे की एक चद्दर से रैक बनाकर उसमे कुल हरियाणा मार्का की सिग्नेचर ब्राण्ड के 101 बोतल (750ML) की व ब्लेण्डर प्राइड के 103 बोतल (750ML)की कुल 204 बोतल(750ML) अवैध हरियाणा निर्मित अंग्रेजी शराब बरामद हुई। कुल मात्रा 153 लीटर जिसकी कीमत लगभग 1,73000 रू(एक लाख तिहतर हजार रूपया) है। अभियुक्तगण द्वारा बताये गया कि बिहार मे शराब बंद है। हमलोग हरियाण से शराब लेकर बिहार में बेचते है जिससे काफी मुनाफा होता है। अभियुक्तो को गिरफ्तार कर मय माल के थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 683/2020 धारा 60(क)/63/72 अबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय

जीरो प्वाइंट दिनांक 15.09.2020 समय 13.20 बजे

गिरफ्तार किये गये अभियुक्तः-

1.बब्लू सिंह पुत्र हेमराज सिंह निवासी बुडरा थाना मरहरा जनपद एटा हाल पता सुभाष कालोनी बल्लभगढ थाना बल्लभगढ जनपद फरीदाबाद हरियाणा

2.मुनमुन सिंह पुत्र शंकर सिंह निवासी डुमरी छुपिया थाना तरैया जनपद छपरा बिहार

3.भुवनेश शर्मा पुत्र मुकेश शर्मा निवासी आदर्श नगर कालोनी बल्लभगढ थाना बल्लभगढ जनपद फरीदाबाद जनपद हरियाणा

बरामदगीः-

1. ब्राण्ड सिग्नेचर101 बोतल (750ML) की व ब्लेण्डर प्राइड के 103 बोतल (750ML) की कुल 204 बोतल(750ML) कुल मात्रा 153 लीटर जिसकी कीमत लगभग 1,73 000 रू(एक लाख तिहतर हजार रूपया)
2. एक अदद वाहन(महिन्द्रा ब्लोरो पिकप) संख्या HR 38 W 6139

गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 रामप्रवेश सिंह थाना गीडा जनपद गोरखपुर
2. उ0नि0 रमेशचन्द चौधरी थाना गीडा जनपद गोरखपुर
3. हे0कां0 जयप्रकाश शुक्ला थाना गीडा जनपद गोरखपुर
4. कां0 अभिषेक प्रसाद थाना गीडा जनपद गोरखपुर
5. कां0 यादवेन्द्र यादव थाना गीडा जनपद गोरखपुर
6. कां0 वैभव श्रीवास्तव थाना गीडा जनपद गोरखपुर